फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाड़ा)

नाथू पिता हीरा माली नि. शक्करगढ़ वगैरा

बनाम

लादूनाथ पिता माधूनाथ नाथ नि. शक्करगढ़ वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए.   मुकदमा नं. 1030/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नकल व मिसिल अहकाम के हुक्म के तामील में जारी हुई
16.11.21	प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम शक्करगढ़ प. ह. शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ.नं. 1522/10 कुल किता 1 रकबा 0.4452 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी अप्रार्थीगण है। उक्त सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नहीं होने से आये दिन हंकाई बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से पत्थरगढ़ी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम शक्करगढ़ प. ह. शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ.नं. 1522/10 कुल किता 1 रकबा 0.4452 है. की बसामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 600- रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक .11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner